

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 09/2011 एलआर एकट

GCMS No. 2011/00039

1. सीतादेवी बेवा } बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी चरकड़ा तहसील
2. मेघराज पुत्र } नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये परोकारराज
2. आशाराम } पि. सीता देवी पुत्री बख्ताराम जाति ब्राह्मण सा.
3. लूणाराम } चरखण्डा त. नोखा।
4. रविन्द्र कुमार पुत्र ईश्वर चन्द जाति गुप्ता सा. जे.एन.वी कॉलोनी बीकानेर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थित: अभिभाषक अपीलांट जयचन्द सारस्वत
रेस्पोंडेन्ट्स नं 2 व 4 एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई
गई।
अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं 1 राजकीय अभिभाषक



निर्णय

दिनांक 10.02.2026

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार, नोखा के आदेश दिनांक 20.10.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि -

1- वादग्रस्त भूमि ग्राम चरकड़ा तहसील नोखा के खसरा नंबर 1233, 1652/2, 2290/1228, 2293/1652, 2294/1233 की कुल 16.18 हेक्टर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा ने उक्त वादगत भूमि का इंतकाल संख्या 737 दिनांक 20.10.2010 वैयनामें के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 के पक्ष में दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा के उक्त इंतकाल संख्या 737 दिनांक 20.10.2010 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है वादग्रस्त भूमि को लेकर अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2,3 के मध्य विवाद न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर में चल रहा है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2,3 ने उक्त वादगत भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 को विक्रय कर दी। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के खिलाफ न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में कन्टेन्ट आफ कोर्ट

की कार्यवाही जैरकार है। अपीलांट तहसीलदार नोखा को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 16.09.2006 को पेश करके इसकी जानकारी देते हुए क्रेतागण के हक में इतकाल दर्ज नकरने का निवेदन किया था। इसके बाद कई वार इतकाल दर्ज नही करने का निवेदन करने के बाद भी अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर गौर न करके रेस्पोजेन्ट संख्या 4 के हक में उक्त वादगत भूमि का इतकाल दर्ज कर दिया। जब किसी भूमि को लेकर कोई अपील या निगरानी जैरकार है तो निचली अदालत को उसी भूमि बाबत इतकाल की कार्यवाही नही करनी चाहिए। अदालत मातहत ने इतकाल दर्ज करने से पूर्व पुरी प्रक्रिया की पालना नही की है न तो मौके के कब्जा काश्ता की जांच की और ना ही रिकॉर्ड को देखा मनमाने तरीके से इतकाल दर्जकर दियाजी हर प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन इतकाल संख्या 737 निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाने की कृपा करे।



3- विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार नोखा ने उक्त इतकाल बैयनामें के आधार पर दर्ज किया है। उक्त इतकाल संख्या 737 दिनांक 20.10.2010 रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर दर्ज हुआ हैं ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन बेयनामा को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर दर्ज इतकाल को निरस्त नही किया जा सकता है। तहसीलदार नोखा ने उक्त इतकाल संख्या 737 नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए दर्ज किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर इतकाल संख्या 737 दिनांक 20.10.2010 यथावत रखा जावें।

4- हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा-5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। उक्त इतकाल संख्या 737 दिनांक 20.10.2010 रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर दर्ज हुआ हैं ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन बेयनामा को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर दर्ज इतकाल को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा के अपीलाधीन इतकाल संख्या 737 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा का अपीलाधीन इतकाल संख्या 737 दिनांक 20.10.2010 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5- तदनुसार अपील अपीलांत निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
वीकानेर